न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 69/2012 G.C.M.S. No. 2012/00020 दर्ज दिनांक : 28.09.2012

अपीलार्थिगण:

1. स्वामी फुलपुरी शिष्य परमहंस स्वामी श्री माधवानंद जी महाराज, आश्रम बोलागुड़ा, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थन राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) देसूरी
2. ट्रस्ट श्री श्री हरीराम जी समाधि स्थल शिव आश्रम ट्रस्ट बोलागुड़ा जरिये अध्यक्ष श्री गिरधारीसिंह जी मेड़तिया निवासी बोलागुड़ा तहसील देसूरी व जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा मुकदमा नंबर 1008/2011 बअनवान स्वामी फुलपुरी शिष्य परमहंस स्वामी श्री माधवानंद जी में पारित आदेश दिनांक 03.05.2012 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार:–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, श्री प्यारे खान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 29.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा मुकदमा नंबर 1008/2011 बअनवान स्वामी फुलपुरी शिष्य परमहंस स्वामी श्री माधवानंद जी में पारित आदेश दिनांक 03.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि अपीलांट द्वारा दिनांक 01.12.2010 को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद में कभी भी उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा न तो अपीलांट को तलब किया गया, न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया, न ही अपीलांट के बयान लिए गए एवं न ही आपत्ति प्रस्तुत होने पर आपत्ति के बाबत जवाब ही मांगा गया व प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध जाकर बिना सुनवाई का अवसर दिए आदेश जैर अपील पारित कर दिया। अपीलांट द्वारा दिनांक 01.12.2010 को खसरा संख्या 135 ग्राम बोलागुड़ा की 0.34 हैक्टेयर भुमि गैर मुमकिन बगेची आश्रम श्री अलखपुरी श्री सिद्धपीठ बोलागुड़ा के नाम आवंटन करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त खसरे की भूमि गैर मुमकिन बगेची के नाम दर्ज है व यह आश्रम प्रार्थी के गुरूदेव एवं गुरूदेव के गुरूदेव ने सन 1928 में तपस्या व साधन की थी व तपस्या व साधना की भुमि है। इस जगह प्रार्थी अपीलांट के पड़दादा गुरु के गुरू भाई श्री हरीपुरी जी महाराज ने जीवित समाधी ली थीं व यह भी

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन किया कि मैं सन्यासी हूं व बचपन से सन्यास धर्म का पालन करता हूं व इस जगह मेरे दादा गुरू, परदादा गुरू की समाधी व मूर्ति स्थापना इस आश्रम हो रखी हैं व इस आश्रम में मंदिर, धर्मशाला, विशाल टीनशेड का निर्माण भी करवाया गया है व यह भी निवेदन किया कि बिजली का कनेक्शन सन्यासी श्री आत्मानंद जी महाराज के नाम का है व टेलीफोन कनेक्शन अपीलांट के गुरूदेव माधवानन्द जी के नाम का है। चूंकि उक्त भुमि राजस्व रेकर्ड मे गैर मुमकिन दर्ज है। इस कारण श्री अलखपूरी जी सिद्ध पीठ परम्परा बोलागुड़ा जरिये फुलपूरी जी शिष्य परमहंस स्वामी माधवानन्द पुरी जी महाराज के नाम आवंटन किया जावें। उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया, परन्तु गांव के कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत हित होने के कारण आपत्ति दर्ज की व उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा सार्वजनिक धार्मिक स्थल का आवंटन करने से इंकार कर दिया। प्रकरण में अपीलांट श्री माधवानन्द जी महाराज का शिष्य है व जो आश्रम स्थल है, ये प्रार्थी के गुरू, दादा गुरू, पड़ दादा गुरू की तपस्या व साधना से संबंधित है व भगवान श्री दीपपुरी जी महा प्रभुजी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी हैं व समाधी स्थल, मूर्ति स्थापना भी इस आश्रम में पूर्व से हैं, जो गुरू परम्परा के अनुसार है व उसी कड़ी का शिष्य श्री फूलपुरी जी है। इनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र आश्रम के नाम भूमि आवंटन करने का दिया गया है, वह जायज है। क्योंकि इस आश्रम की भुमि का आवंटन किया जाना आवश्यक है ताकि उक्त भूमि धार्मिक स्थल के नाम हो सके व राज्य सरकार के नाम सिवायचक होने से विवाद पैदा न हों, इस कारण से जो आवंटन नहीं किया गया है, वह विधि के विरूद्ध है। साथ ही आश्रम स्थल पर निर्माण स्वामी श्री महेश्वरानन्द जी की ओर से करवाया गया है व इनका भी गुरू चौनल यही है व दीपपुरी जी इनके दादा गुरू है व माधवानन्द जी महेश्वरानन्द जी के गुरू है व महेश्वरानन्द जी द्वारा इस आश्रम मे व्यवस्था की हैं व स्वामी फुलपुरी जी महाराज की देखरेख व व्यवस्था अपीलाधीन आश्रम की है व टेलीफोन कनेक्शन माधवानन्द जी के नाम का किया हुआ है व अन्य व्यवस्था भी हैं व दिनांक 26.12.1999 को श्री दीपपुरी जी महाप्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा व तत्समय के वजीरे आला श्री अशोक गहलोत के कर कमलों द्वारा की गई। इस तरीके से तमाम व्यवस्थाएं फुलपुरी जी के द्वारा की जाती रही हैं। इस कारण आश्रम के नाम भूमि आवंटन किया जाना जायज था। परन्तु बावजूद इसके भी आवंटन नहीं किया जाना विधि व तथ्य की भूल है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार की रिपोर्ट जो बनाई गई हैं, वो अपने आप में भी दुर्भावना से ग्रसित होना जाहिर करती हैं। जो आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अपीलांट द्वारा दिया गया है, वो व्यक्तिगत नाम का नहीं होकर आश्रम श्री अलखपुरी जी श्री सिद्ध पीठ परम्परा बोलागुडा के नाम से दिया गया है। इस नाम से आवंटन करने से व्यक्तिगत हैसियत नहीं रही हैं व व्यक्तिगत हैसियत से कोई प्रार्थना पत्र पेश किया हों, ये प्रार्थना

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पत्र में दर्ज नहीं हैं व जो मौका फर्द पटवारी द्वारा बनाई गई हैं, इसमें श्री सनातन आठ दर्शन देवी सम्पदा, साधु सेवा मण्डल मुण्डारा में निहित होना बताया है। जो अपने आप मे ही संदेह पैदा करता है व आश्रम के विरूद्ध होना साबित करता है। क्योंकि श्री फुलपुरी जी व महेश्वरानन्द जी के गुरू माधवानन्द जी व इन्हीं की कड़ी से कड़ी गुरू, दादा गुरू, पड़दादा गुरू, चलते आ रहे हैं। इस कारण जो आश्रम की व्यवस्था के लिये ट्रस्ट बनाया गया है जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 है जो दिनांक 25.08.2011 के रिपोर्ट के अनुसार समाधि स्थल के हितों के विरूद्ध है व इसी के साथ तहसीलदार द्वारा भी आवंटन नहीं करने की सिफारिश की हैं, जो भी विधिविरूद्ध है। क्योंकि तहसीलदार जी क्योकर आश्रम की भूमि को सरकारी खाते मे रखना चाहते हैं। क्यो कर ट्रस्ट मण्डल बोला गुडा आश्रम के नाम भुमि आवंटन नहीं करवाकर सरकार के खाते मे रखना चाहते है। ये तमाम बिन्दु अपने आप मे ही सन्देहास्पद होना दुर्भावनापूर्वक कृत्य किया जाना साबित करते हैं। सनातन दर्शन देवी सम्पदा साधु समाज सेवा मण्डल मुण्डारा के अधीन रहना चाहते है व उनके संविधान के अनुसार संचालन हेतु सहमति है। ये तमाम तथ्य आश्रम के हितों के अनुसार नहीं होना भी जाहिर करते हैं। इस कारण जो उपखण्ड अधिकारी देसुरी द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, ये तथ्यों के विरूद्ध है। इस कारण अपीलाधीन आदेश सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर पाली को ग्राम बोलाकुडा तहसील देसूरी में स्थित खसरा संख्या 135 गैर मुमकिन बगीची की भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के आश्रम को आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे उपखंड अधिकारी देसूरी को अग्रेषित किया गया। उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा पत्र दिनांक 03.05.2012 द्वारा प्रार्थी के आवेदन को निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 26.07.2012 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में सद्भाविक देरी हुई हैं तथा प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जावें। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अंदर म्याद शुमार फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण में अल्प विलंब निहित है तथा प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट प्रार्थी द्वारा स्वयं एवं आश्रम श्री स्वामी माधवानंद पुरी जी महाराज के नाम खसरा संख्या 135 की भूमि आवंटित किए जाने की मांग की गई। प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने आवेदन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया कि उनके द्वारा किन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक आश्रम एवं स्वयं के नाम भूमि आवंटन की मांग की गई हैं।

4. अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.05.2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मांग की गई भूमि राजकीय खाते में दर्ज है तथा मौके पर धार्मिक आश्रम संचालित है। जिसका संचालन स्थानीय ग्रामवासियों व उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। उक्त ट्रस्ट कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर द्वारा पंजीकरण संख्या 04/2011/पाली द्वारा श्री श्री हरीराम जी समाधि स्थल बगेची शिव आश्रम ट्रस्ट बोलागुडा के नाम से पंजीकृत है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक धार्मिक स्थल को अन्य किसी के नाम आवंटन किया जाना उचित नहीं मानते हुए आवेदन खारिज किया गया।

5. चूंकि यह सुस्पष्ट है कि आवंटन के लिए वांछित भूमि मौके पर खाली नहीं होकर पूर्व से धार्मिक सार्वजनिक बगेची संचालित है। ऐसी स्थिति में ऐसे सार्वजनिक धार्मिक स्थल का व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति या संस्था के नाम आवंटन किए जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं तथा हमारे विनम्र मत में विद्वान उपखंड अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की हैं तथा इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं हुई हैं। लिहाजा, अपील अपीलांट को खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **29.08.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner